न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17 / 08 / 2022	2022 / 134	07–12–2022	03–07–2024

1–फूलचन्द पुत्र भभड जाति मीणा निवासी निवारी थानागाजी तहसील थानागाजी व जिला अलवर राजस्थान।

1 / 1 श्रीमति दाखाँ देवी धर्मपत्नी स्व.फूलचन्द जाति मीणा

1 / 2 गिर्राज प्रसाद पुत्र स्व.फूलचन्द जाति मीणा

1 / 3 गिरधारी लाल पुत्र स्व.फूलचन्द जाति मीणा

1 / 4 गजानन्द पुत्र स्व.स्व.फूलचन्द जाति मीणा

1 / 5 गजराज पुत्र स्व.स्व.फूलचन्द जाति मीणा निवासीयान न्यू कोलॉनी, दुर्गा मन्दिर के पास, थानागाजी तहसील अलवर।

1 / 6 गीता पुत्री स्व स्व.फूलचन्द धर्मपत्नी रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बागावास चोरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

1 / 7 श्रीमती गोमती पुत्री स्व. फूलचन्द धर्मपत्नी रोशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बागावास चोरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1–सहायक वन संरक्षक, वन्य जीव सरिस्का बाघ परियोजना, सरिस्का तहसील थानागाजी जिला अलवर।

—रेस्पोडेंट

रिव्यु प्रार्थना पत्र बअनुवानी फूलचन्द वगै0 बनाम, सहायक वन संरक्षक, व अन्य, निर्णय दिनांक 18 / 11 / 2022

उपस्थितः—

1.श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता। —वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने रिव्यु प्रार्थना–पत्र बअनुवानी फूलचन्द वगै0 बनाम सहायक वन संरक्षक, वन्य जीव सरिस्का बाघ परियोजना, सरिस्का व अन्य निर्णय दिनांक 18.11.2022 प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना–पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दौराने बहस मे निवेदन किया कि न्यायालय के समक्ष न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.11.2022 के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है, जिस निर्णय के कैप्सन मे तहसीलदार मुण्डावर गलत दर्ज किया है, जबकि उक्त निर्णय न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का का है उरोक्त अनुवानी अपील का निर्णय दिनांक 18.11.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। निर्णय के कैप्सन मे तहसीदार मुण्डावर गलत दर्ज किया है जबकि उक्त निर्णय न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का का है। इसमे तहसीलदार मुण्डावर गलत दर्ज किया गया है। इसलिए निर्णय के कैप्सन से तहसीलदार मुण्डावर को हटाया (हजफ) किया जाना न्यायसंगत है। उपरोक्त अनुवानी अपील न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 22 / 1998 निर्णय दिनांक 06.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। जिसमे अपीलान्ट फूलचन्द पुत्र भभड का स्वर्गवास दौराने अपील दिनांक 18.08.2021 को हो चुका था। जिसके वारिसान द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो रिकॉर्ड पर लिया गया, और संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत की जाने वाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

कार्यवाही व्यक्तिगत कार्यवाही होती है, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2022 मे अपीलान्ट फूलचन्द की मृत्यु के पश्चात् न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 22/1998 मे पारित दिनांक 06.06.2018 की कार्यवाही को ड्रॉप (निरस्त) नही किया गया है। निर्णय मे पारित उक्त त्रुटि (भूल) अभिलेख को देखने मात्र से ही प्रकट होती है। जिस त्रुटि (भूल) को दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक व न्याय संगत है। जिस हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है, निर्णय दिनांक 18.11.2022 का होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है, उक्त निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नही की गई है, प्रार्थना–पत्र पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय मे हुई त्रुटि (भूल) को दुरूस्त किया जाकर निर्णय के कैप्सन से तहसीलदार मुण्डावर हजफ (हटाया) किया जावे तथा निर्णय में न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 12/1996 मे पारित दिनांक 06.06.2018 की कार्यवाही को ड्रॉप (निरस्त) की जाती है, जोडा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है। कि निर्णय के कैप्सन में तहसीलदार मुण्डावर गलत दर्ज किया है। जिसे दुरूस्त कर न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का किया जावे । तथा अपीलान्ट फूलचन्द की मृत्यु दौराने अपील दिनांक 18.08.2021 को हो जाने के कारण मृत आदमी के विरूद्ध 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही किया जाना विधि विरूद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है की 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही न्यायालय सहायक वन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का द्वारा कि गई थी, तथा मृतक के खिलाफ 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही किया जाना विधि विरूद्ध है। प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय प्रति अधिनस्थ न्यायालय के मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)